35

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1307-दो/2007 - विरूद्ध आदेश दिनांक 21-03-2007- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 531/2005-06 अपील

रामायण प्रसाद पुत्र रामरूप कुशवाह
ग्राम देवरी जगदीशपुर तहसील
अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 -----आवेदक

विरूद्ध

महिला पिअरिया पत्नि जमुनाप्रसाद कुशवाह
ग्राम मंगराज तहसील अमरपाटन जिला सतना) ---अनावेदक

(आवदेक के अभिभाषक श्री आर0डी0अग्रवाल)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 03- 11 -2017 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 531/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-3-2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला दुरघटिया देवी पत्नि रामचेरे कुशवाह मौजा देवरी की भूमि स0क0118 रकबा 0.291 हैक्टर की भूमिस्वामी थी, जिसकी मृत्यु उपरांत आवेदक ने बसीयत के आधार पर तहसीलदार अमरपाटन के समक्ष नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 83 अ-6/2004-05 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 29-7-2005 पारित किया एंव बसीयत प्रमाणित न पाये जाने से महिला दुरघटिया देवी की पुत्री पिपरिया के नाम नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत

की। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण क्रमांक 230/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-2006 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 29-7-2005 में संशोधन किया तथा भूमि सर्वे क्रमांक 118/2 रकबा 0.48 एकड़ में 12/ हिस्सा पिपरिया के नाम तथा 1/2 हिस्सा रामायण के नाम करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 531/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-3-2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि मौजा देवरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 118 रकबा 0.291 हैक्टर आवेदक को बसीयत द्वारा प्राप्त हुई है । बसीयत तहसील न्यायालय में साक्षीगण से प्रमाणित कराई गई है। बसीयत को इस आधार पर संदिग्ध नहीं माना जा सकता कि बसीयतकर्ता की आयु अधिक थी तथा मरने के 6 दिन पूर्व बसीयत लिखी गई है। जब साक्षीगण से बसीयत प्रमाणित है बसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय ने नामान्तरण न करने में भूल की है इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने बसीयत को अनदेखा करते हुये आदेश दिनांक 28-2-2006 पारित किया है एंव अपर आयुक्त द्वारा भी वास्तविकता समझे बिना अपील निरस्त करने में भूल की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर बसीयत के आधार पर मौजा देवरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 118 रकबा 0.291 हैक्टर (0.48 एकड़) आवेदक के नाम दर्ज किये जाने की मांग रखी।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने आदेश दिनांक 28-2-2006 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है -

**" यदि बसीयतकर्ता दुर्घटिया वास्तव में अपीलार्थी के पक्ष में बसीयत करने की इच्छा रखती थी, तो इसे मृत्यु के बहुत पूर्व निष्पादित करती, उसकी उम्र 90 वर्ष थी तथा बीमार हालात में थी व 6 दिन पश्चात् मर ही गई ऐसी स्थिति में बसीयत के लेख को**

समझने की क्षमता रखती रही हो, विश्वास योग्य नहीं है। बसीयत पत्र में दुर्घटिया ने निशानी अगूँठा लगाया है जिससे जाहिर है कि वह पढ़ी लिखी नहीं थी । बसीयत लेख में यह सत्यापित नहीं किया गया है कि बसीयत को पढ़कर उसे सुनाया व समझाया गया है, जबकि ऐसा करना आवश्यक था। बसीयत के दो गवाह में से एक गवाह अमरपाटन का रहने वाला है तथा दूसरा गवाह बसीयतकर्ता के गांव देवरी जगदीशपुर का ही रहने वाला है। अपरपाटन के निवासी द्वारा गवाह के रूप में बसीयत का सखाकन करना संदेह की परिधि में आता है। प्रस्तुत बसीयतनामा प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध है।

परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पूरी जमीन का नामान्तरण दुर्घटिया की एक पुत्री पिपरिया के नाम करने में विधिक भूल की है क्योंकि दुघटिया के दो पुत्रियां पिपरिया व गल्ली है। गल्ली मृतक है तथा उसका पुत्र रामायण प्रसाद जीवित है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार नियम के प्रावधानों के अनुसार दुर्घटिया के नाम की आधा हिस्सा पिपरिया को तथा अधा हिस्सा गल्ली के पुत्र रामायण प्रसाद को मिलना चाहिये। ”

अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षकारों को समान भाग देते हुये वाद विचारित भूमि पर नामान्तरण स्वीकार किया है । साथ ही बसीयत संदिग्ध होने एंव अप्रमाणित होने के कारण कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 531/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-3-2007 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को विधिवत् होना माना है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-2007 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 531/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-3-2007 विधिवत् होने यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर